अकल जारी 14/5/09

न्यायालय उपजिलाधिकारी चायल कौशाम्बी।

वाद संख्या- 02 सन्2009 धारा-143ज0वि0अधिनियम

ग्राम- जयन्तीपुर परगना व तहसील- चायल कौशाम्बी।

रामसजीवनसिंह महाविद्यालय बनाम गांवसभा

निर्णय

डा0सूबेदारसिंह प्रबन्धक रामसजीवनसिंह महाविद्यालय जयन्तीपुर तहसील चायल जनपद कौशाम्बी ने गांव सभा जयन्तीपुर तहसील चायल को पक्षकार बनाते हुए धारा 143ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वह ग्राम जयन्तीपुर तहसील चायल की भूमि संख्या 114रकबा 0.080हे0 ,आ0सं0 115रकबा 0.068हे0 ,आ0सं0 116रकबा 0.068हे0, आ0सं0 117रकबा 0.171हे0 व आ0सं0 118रकबा 0.057हे0 तथा आ0 सं0130रकबा 0.080हे0 के मालिक काबिज दखील भूमिधर हैं।यह आराजियात रामसजीवनसिंह महाविद्यालय के नामदर्ज कागजात है और इसका उपयोग महाविद्यालय के निर्माण कार्य में हो चुका है जो पूर्ण रूप से आबादी उपयोग की भूमि हो चुकी है इस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है।चूंकि इस भूमि का उपयोग व उपभोग पूर्णरूप से आवासीय हो चुका है इसलिए राजस्व अभिलेखों में भी इसे आबादी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। ग्राम सभासे इस भूमि का कोई वास्ता सरोकार नहीं है और न उसका कभी कब्जादखल रहाहै ग्राम सभा को तरतीबी पक्षकार बनाया गयाहै। अत: प्रार्थना है कि इन आराजियात को आबादी घोषित करने की कृपा की जाय।वादी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकलखतौनी 1412-1417खाता संख्या 79दाखिल किया।

प्रकरण में तहसीलदारचायल से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार चायल ने प्रारूप पर आख्या प्रेषित करते हुए कहा हैकि उक्त आराजियात के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर महाविद्यालय भवन का निर्माण है । यह आराजियात खतौनी में रामसजीवनसिंह महाविद्यालय के नाम संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी में दर्ज है। इन आराजियात को धारा 143ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत आबादी में दर्ज करने हेतु आख्या प्रेषित है। तहसीलदार की आख्या के उपरान्त ग्रामसभा को नियमानुसार नोटिस भेजी गयी कोई आपत्ति नहीं आयी।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार आख्या व साक्ष्यों का परीक्षण किया। परीक्षण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात उपरोक्त महाविद्यालय के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में नकल खतौनी 1412-1417फसली में खाता संख्या 79पर दर्ज है। तथा तहसीलदार आख्या से स्पष्ट है कि इन आराजियात के सम्पूर्ण रकबे पर इस महाविद्यालय काभवन बना हुआ है जिससे इस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। । अत: इन आराजियात को गैर कृषिभूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अत: आदेश किया जाता है कि ग्राम जयन्तीपुर तहसील चायल कौशाम्बी की आराजी संख्या 114रकबा 0.080हे0,आ0सं0 115रकबा 0.068हे0 आ0सं0 116रकबा 0.068हे0 ,आ0सं0 117रकबा 0.171हे0 ,आ0सं0 118रकबा 0.057हे0 तथा आराजी संख्या 130रकबा 0.080हे0 गैर कृषि भूमि श्रेणी में दर्ज हो। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश कीप्रति उपनिबन्धक चायल को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 14.5.09 14/5/09

14/5

(आर. के. उपाध्याय)

उपजिलाधिकारी चायल

7

14-05

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

नकल आदेश दिनांक 13.12.2012

न्यायालय उपजिलाधिकारी चायल, कौशाम्बी

वाद संख्या 61 सन् 2012 धारा–143 ज0वि0अधिनियम

मौजा–जयन्तीपुर परगना व तहसील चायल कौशाम्बी

टी0आर0एस0कालेज आफ बनाम रामबालक आदि

एजूकेशनल एण्ड टेक्नालाजी जयंतीपुर

द्वारा प्रबन्धक जीतेन्द्र सिंह

निर्णय

टी0आर0एस0 कालेज आफ एजूकेशनल एण्ड टेक्नालाजी, जयन्तीपुर द्वारा प्रबन्धक जीतेन्द्र सिंह निवासी 2 डी लिडिल रोड जार्जटाऊन इलाहाबाद ने 1. रामबालक पुत्र ऊधौप्रसाद 2. जगदीश दत्त 3. राजनारायण 4. छत्रधारी पुत्रगण बद्रीनारायण 5. रूद्रदत्त 6. शिवदत्त पुत्रगण सूर्यबली 7. दिवाकर 8. प्रभाकर 9. शिवभाष्कर पुत्रगण चन्द्रबली 10. लक्ष्मीनारायण 11. हरीश्याम 12. घनश्याम 13. श्रीश्याम पुत्रगण कृष्णदत्त निवासीगण जयन्तीपुर 14. डा0 सूबेदार सिंह पुत्र तुलसीराम सिंह 15. सुषमा सिंह पत्नी सूबेदार सिंह निवरासी 2 डी लिडिल रोड जार्जटाऊन इलाहाबाद को पक्षकार बनाते हुए धारा 143 ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम जयन्तीपुर की खाता संख्या 88 की आराजी संख्या 119मि0 रकबा 0.400हे0, 120मि0 रकबा 0.074हे0, आराजी संख्या 128मि0 रकबा 0.057हे0, आराजी संख्या 129मि0 रकबा 0.080हे0 कुल चार गाटा रकबा 0.611 हे0 का 3/4 भाग यानी 0.458हे0 तथा खाता संख्या 28 की आराजी संख्या 131 मि0 रकबा 0.571हे0 मे से 0.078हे0 आराजी का सह भूमिधर मालिक काबिज दखील है। वादी ने उपरोक्त भूमि को विद्यालय के प्रयोजन हेतु कय किया हैऔर वर्तमान समय मे भूमि मे कृषि कार्य नही किया जा रहा है चूंकि कय शुदा भूमि पर अब कृषि कार्य नही हो रहा है इसलिए कयशुदा भूमि को अकृषिक भूमि की श्रेणी मे दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादी को अपने विद्यालय के संचालन हेतु वित्तीय सहायता की आवश्यकता है बिना भूमि की नवैयत बदले कोई भी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक से वित्तीय सहायता नही मिल सकती है इसलिए भूमि की नवैयत अकृषिक श्रेणी मे दर्ज किया जाना आवश्यक है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 15 खतौनी मे वादी के सह खातेदार के रूप मे दर्ज है इसलिए इन्हें तरतीवी पक्षकार बनाया गया है इनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुतोष की याचना नही की गई है।

प्रकरण की नायब तहसीलदार से आख्या मंगायी गयी। धारा 143 ज0वि0अधिनियम के नियम 135 मे निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित तहसीलदार चायल की आख्या दिनांक 04.12.2012 मे कहा गया है कि टी0आर0एस0 कालेज आफ एजूकेशनल एण्ड टेक्नालाजी जयन्तीपुर के नाम खाता संख्या 88 की आराजी संख्या 119मि/0.400हे0, 120मि/0.074हे0, 128मि/0.057, 129मि0/0.080 व आराजी संख्या 131 मि रकबा 0.571 हे0 मे से 0.078हे0 भूमि पर मौके पर भवन व बाउण्ड्री बनी है, अकृषिक घोषित करने हेतु आख्या प्रेषित है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा नायब तहसीलदार की आख्या व अभिलेखीय साक्ष्यो का परीक्षण किया। नकल खतौनी सन् 1418 लगायत 1423फ0 ग्राम जयन्तीपुर के खाता संख्या 88 की आराजी संख्या 119मि/0.400हे0, 120मि/0.074हे0, 128मि/0.057 हे, 129मि/0.080हे व खाता संख्या 28 की

आराजी संख्या 131मि/0.571 हे मे से 0.078हे0 भूमि मे मौके पर कालेज की बाउण्ड्री व भवन बना है। तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि वादी के हिस्से की भूमि कृषि कार्य नही होता है। कृषि कार्य न होने के कारण वादी के हिस्से की भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई विधिक अड़चन नही प्रतीत होती है।

आदेश

अतः ग्राम जयन्तीपुर परगना व तहसील चायल कौशाम्बी की खतौनी वर्ष 1418 लगायत 1423फ0 के खाता संख्या 88 के आराजी संख्या 119मि/0.400 हे, आराजी संख्या 120मि/0.074हे0, 128मि/0.057हे0, 129मि/0.080 हे0 व खाता संख्या 28 की आराजी संख्या 131मि/0.571 हे0 मे से 0.078 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक चायल को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी,
चायल–कौशाम्बी

यह निर्णय/आदेश खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

19/12/12

उपजिलाधिकारी,
चायल–कौशाम्बी